ब्यावर
54/18/225 श्रीमती रूकमा देवी **बनाम** मोहन वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R.3 (बंप उप R.2 अनु श्री एम.पी. ओझा एड. श्री जी.एम. लखावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए G.A. 6.7
11.2.19		

अपील संख्या 55/2018 (2018/00054)

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 25.01.2019 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी संख्या 01, 2 जिनके वारिसान 1/1, 2/1 है ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 8 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाकै ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर में स्थित है तथा वादीगण द्वारा वाद पत्र में सजरा प्रस्तुत किया, सजरा अनुसार वादीगण के पिता शिवराज पुत्र मन्ना जाति रेगर की खातेदारी आराजी जमाबंदी फसल 1350, 1365 1366 में खुदकाश्त दर्ज चला आ रहा हैं तथा जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 2021 से 2024 और 2025 से 2028 की खातेदारी में दर्ज हैं। शिवराम पुत्र मन्ना के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण पुत्रियॉ श्रीमती पानी एवं श्रीमती रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में होना चाहिए था तथा वर्किंग जमाबंदी में पूर्व खातेदार का नाम रिपीट होना चाहिए थें लेकिन वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल ने प्रतिवादी संख्या 04,05 को दिनांक 06.09.2011 को गैर कानूनी रूप से बेचान कर दी। उक्त बेचान प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। अन्त में वाद कारण अंकित करते हुए वाद अनुसार डिक्री चाही गई । प्रतिवादी संख्या 03, 4, 5 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। दोराने वाद दिनांक 18.01.2016 को वादीगण एवं वादीगण के अभिभाषक अनुपस्थित होने के आधार पर वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. मय मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2016 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.03.2016 को मार्क किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में संतोषजनक कारण अंकित करते हुए वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना की ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.01.2018 को खारिज कर दिया तथा दिनांक 30.01.2018 को संशोधित आदेश पारित कर उक्त आदेश को पूर्व आदेश का भाग समझा जाने के आदेश प्रदान किये। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त आदेश दिनांक 23.01.2018 एवं 30.01.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वादीगण एवं उसके अभिभाषक दिनांक 18.01.2016 को उपस्थित नहीं होने के आधार पर वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया था जिसके लिए वादीगण ने वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अंकित किये हैं जिसमें वादीया वृद्व महिला होने के कारण उक्त दिवस को स्वस्थ्य खराब होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पायी तथा वादीगण अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नही हो सकें। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में संतोष

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

ब्यावर
4/18/225 श्रीमती रुकमा देवी बनाम मोहन वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-3 लंबित उप. R-2 अनु. श्री एस.पी. ओझा एड. श्री जी.एस. लखावत G.A. 617	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

लगातार....

जनक कारण अंकित किये जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने दिनांक 23.01.2018 को खारिज कर दिया। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जाप्ता दीवानी के तहत् चलने योग्य नही था क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिपिकीय भूल अथवा टंकण त्रुटि को दुरुस्त किया जा सकता है लेकिन निर्णय की फाईडिंग नहीं बदली जा सकती क्योंकि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार ही 10 माह जानकारी नही होना मानकर किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी को स्वीकार माना जाता हैं तो प्रार्थना पत्र 2 माह के विलम्ब से प्रस्तुत माना जायेगा जिससे उनका निर्णय ही पूर्णतः फाईडिंग को प्रभावित करता हैं। वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को तकनीकी के आधार पर खारिज किया हैं, जो विधि सम्मत नहीं हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय दिनांक 23.01.2018 व 30.01.2018 को निरस्त किया जावें एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधि प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाकर वाद को निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद वादीगण एवं उनके अभिभाषक के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया था तथा उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. भी लगभग ढ़ाई माह के पश्चात किया हैं जबकि वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये के आदेश की जानकारी उनके अभिभाषक एवं वादीगण को थी फिर भी जानकारी में होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था । विलम्ब के भी संतोष जनक कारण अंकित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किया हैं। जो विधि सम्मत मियाद बाहर मानते हुए खारिज किया हैं जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 18.01.2016 को वादीगण एवं उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया था तत्पश्चात प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को भी मियाद बाहर मानते हुए मियाद बिन्दु पर ही खारिज किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र एवं तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को भी तकनीकी आधार पर खारिज

लगातार

ब्यावर

54/18/225 श्रीमती रुकमा देवी **बनाम** मोहन वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-3 स्वंय उप R-2 अनु श्री एम.पी. औसा ए. श्री जी.एम. लखावत G.A. 6,7	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

लगातार-----

किया है जबकि मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ने अपने अनेको आदेश में यह प्रतिपादित किया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर निर्णय नहीं किया जाकर मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र को भी तकनीकी आधार पर खारिज किया है जिसको हम विधि सम्मत नहीं मानते है। पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होना चाहिए इसलिए न्यायहित में प्रस्तुत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय दिनांक 23.01.2018 व 30.01.2018 एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश देना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय दिनांक 23.01.2018 व 30.01.2018 को निरस्त किया जाता हैं एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किया जाता हैं तथा वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद पत्र का निर्णय करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(हस्ताक्षर)
11/1/19
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.2.2019	**श्रीमती रूकमा बनाम मोहन वगैरह** यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट श्री एस.पी.औझा के द्वारा दिनां 19.02.2019 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जा.दी. पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बहस में कथन किया कि न्यायालय में अपील अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की थी तथा एक अपील वाद में बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज करने के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.02.2019 को वादपत्र के विरूद्व प्रस्तुत अपील में तो वाद पत्र के सदर्भ में ही नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित करना अंकित किया है परन्तु अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपील में भी अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 की पंक्ति 20 में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना पत्र के बजाय वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना अंकित कर दिया हैं इसी प्रकार निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 की पंक्ति संख्या 14 तथा ऑपरेटिव भाग की छठी पंक्ति में भी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लेने के बजाय वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित कर दिये हैं। जो दोने अपीलों को निस्तारण करने में लिपिकीय टंकन त्रुटि से सहवन से यह त्रुटि हो गई जिसे दुरूस्त किया किये जाने आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उपरोंक्त त्रुटि दोनो अपील का एक साथ निस्तारण करने से लिपिकीय टंकन से हो गई, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जा.दी. को स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.02.2019 के पृष्ठ–2 संख्या 20 पर "वाद" शब्द क स्थान पर "अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र" शब्द तथा निर्णय के पृष्ठ संख्या 03 की पंक्ति संख्या 14 एवं ऑपरेटिव भाग की छठी पंक्ति में भी "वांद" शब्द के स्थान पर " अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र" शब्द को निर्णय दिनांक 11.02.2019 में दुरूस्त किया जाता है तथा उक्त संशोधन को निर्णय का भाग समझा जावें एवं पढ़ा जावें।** प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	